आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–78/2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1) (A) के अंतर्गत
श्री लाल मोहन सिंह एवं अन्य––विक्रेता
प्रति
श्रीमती निरवंती देवी––क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता 1. श्री लाल मोहन सिंह, पिता–स्व० नकु सिंह, 2. श्री बलराम सिंह, पिता–स्व० चरकु सिंह, दोनों निवासी ग्राम–कसमार, पोस्ट–उदयपुर, थाना–रमकण्डा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती निरवंती देवी, पति–श्री नारायण सिंह, ग्राम–कसमार, पोस्ट–उदयपुर, थाना–रमकण्डा, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रमकण्डा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रमकण्डा के पत्रांक 362/दिनांक 19.11.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता नकु सिंह के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना रमकण्डा एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के भांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, रमकण्डा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता 1. श्री लाल मोहन सिंह, पिता–स्व० नकु सिंह, 2. श्री बलराम सिंह, पिता–स्व० चरकु सिंह, दोनों निवासी ग्राम–कसमार, पोस्ट–उदयपुर, थाना–रमकण्डा, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्रीमती निरवंती देवी, पति–श्री नारायण सिंह, ग्राम–कसमार, पोस्ट–उदयपुर, थाना–रमकण्डा, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरणः–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
कसमार	107	पुराना–25 नया–62	पुराना–1047 नया–2328	0.36	उ०–रामजी सिंह, द०–लाल मोहन सिंह, पू०–देवनारायण सिंह, प०–भुलन सिंह,
			पुराना–1047 नया–2331	0.02	
			पुराना–1047 नया–2332	0.49	
			कुल रकबाः–	0.87	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:08:47 +05:30
Location: 192.168.36.160

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

Scanned with CamScanner